(First published in the Rajasthan Gazette Extraordinary Part IV-A dated 11-4-1974)

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल, 1974

संख्या प. 2(2) विधि/74 :— राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल—1974 ई. को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974

(अधिनियम संख्या 5 सन् 1974)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 1974 को प्राप्त हुई)

तेंदू पत्ते के व्यापार में, राज्य सरकार का एकाधिकार स्थापित कर लोकहित में ऐसे व्यापार का विनियमन करने के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है :—

1. **<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ</u> :—** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य से है।

(3) यह ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में तथा ऐसी तारीख या तारीखों से प्रवृत होगा, जो राज्य सरकार, समय—समय पर, राजस्थान अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

2. **<u>परिभाषाए</u>** :— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''अभिकर्त्ता'' से, धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्त्ता अभिप्रेत हैः

(ख) ''समिति'' से, धारा 6 को उप—धारा (1) के अधीन एक अथवा अधिक वन खण्डों के लिए गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत हैः

(ग) ''तेंदू पत्ते उपजाने वाले'' से अभिप्रेत है —

(i) राज्य सरकार, तेंदू के ऐसे पौधें के सम्बन्ध में जो ऐसे क्षेत्रों में उगाये गये हों जिनका गठन, समय समय पर, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 13) के अधीन आरक्षित अथवा संरक्षित वनो के रूप में किया गया हो :

(ii) राज्य सरकार, तेंदू के ऐसे पौधों के सम्बन्ध में जो ऐसे पंचायत क्षेत्रों में उगाये गये हों जो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) की धारा 2 के खण्ड (7) तथा धारा 88 की उप—धारा (1) के खण्ड (i) के परिभाषित है; और

(iii) उप–खण्ड (i) तथा उप खण्ड (ii) के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में उगाये गये तेंदू के पौधों के सम्बन्ध में :–

(क) राज्य सरकार, जहां तेंदू के पौधे ऐसी अनधिभोगी भूमि पर लगाये गये हो जो राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खण्ड (27) में परिभाषित है या जहां तेंदू के पत्ते ऐसी चरागाह भूमि पर उगाये गये हों जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (28) में परिभाषित है ;

(ख) भूमिधारी या काश्तकार, यथास्थिति, भूमि की ऐसी इकाई के सम्बन्ध में जिस पर तेन्दू के पौधे उगते है और इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति भी सम्मिलित है। जो, समय समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के ऐसे पौधों के हक का दावा करता है:

(ग) राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 16) के अधीन भूदानधारी और राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का राजस्थान अधिनियम 12) के अधीन ग्रामदान किसान, यथास्थिति, भूमि की ऐसी इकाई के सम्बन्ध में जिस पर तेन्दू के पौधे उगाते है और इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो समय समय पर, उसके माध्यम से, तेन्दू के ऐसे पौधों के हक का दावा करता है;

(घ) तेन्दू के पत्तों के संबंध में ''लाइसेंस प्राप्त विक्रेता'' से, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे पत्तों की खुदरा बिक्री के लिए धारा 13 के अधीन लाइसेंस मंजूर किया गया है;

(ङ) ''खुदरा बिक्री'' से तेन्दू पत्तों की ऐसी बिक्री अभिप्रेत है जो ऐसे पत्तों के संबंध में ऐसी मात्रा से अधिक न हो जो राज्य सरकार द्वारा राज–पत्र में अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाय;

(च) ''विनिर्दिष्ट क्षेत्र'' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय:

(छ) ''काश्तकार'' का वही अर्थ होगा जो कि राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खण्ड (43) द्वारा इस अभिव्यक्ति की समनुदेशित किया गया है;

(ज) ''इकाई'' से विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह उप–खण्ड अभिप्रेत है जिसका धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठन किया गया हो।

(झ) इस अधिनिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिनको राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (सन् 1953 का राजस्थान अधिनियम 13) में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वे ही अर्थ होगें जो उस अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।

3. **इकाईयों का गठनः–** राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्षेत्र की ऐसी संख्या में इकाईयों के रूप में विभाजित कर सकती है, जो वह उचित समझे।

4. **<u>अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति :–</u>** (1) राज्य सरकार, अपनी ओर से तेन्दू पत्तों के क्रय एवं व्यापार के प्रयोजनार्थ विभिन्न इकाईयों के संबंध में, एक अथवा अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसे किसी भी अभिकर्ता की नियुक्ति एक से अधिक इकाईयों के लिये भी कर सकेगी।

(2) अभिकर्ताओं की नियुक्ति की शर्तें, निबन्धन एवं प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी की विहित की जाय।

5. **<u>तेन्दू पत्तों के क्रय अथवा परिवहन पर निबन्धन</u>** :– (1) किसी भी क्षेत्र धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी करने पर –

(क) राज्य सरकार ;

(ख) इस निमित लिखित में प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी ;

(ग) उस इकाई से संबंधित अभिकर्ता, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे है; के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तेन्दू पत्तों का क्रय अथवा परिवहन नहीं करेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– i क्रय में वस्तु विनियम द्वारा क्रय भी सम्मिलित है।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– ii सरकार या पूर्वोक्त सरकारी अधिकारी या अभिकर्ता या लाईसेंस प्राप्त विक्रेता से किया गया तेन्दू के पत्तों का क्रय, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन में किया गया क्रय नहीं समझा जायेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– iii ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका हित किसी होल्डिंग में न हो किन्तु जिसने ऐसी होल्डिग पर उगे हुये तेन्दू पत्तों के संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, ऐसा समझा जायगा कि उसने ऐसे पत्तों का क्रय इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया है।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी,

(क) तेन्दू पत्ते उपजाने वाला, इकाई के अन्दर ऐसे किसी स्थान से, जहॉ ऐसे पत्ते उगे हो, अपने पत्तों का परिवहन उस इकाई के किसी भी अन्य स्थान को कर सकता है, और

(ख) राज्य सरकार या उक्त नव–धारा में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या अभिकर्ता से, राज्य में बीडियां बनाने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा या, राज्य के बाहर बिक्री के लिये किसी व्यक्ति द्वारा लाईसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा खरीदे गये तेन्दू के पत्तों का उस इकाई के बाहर परिवहन ऐसे व्यक्ति या विक्रेता द्वारा ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित जारी किये गये अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं निबन्धनों एवं ऐसी रीति से किया जा सकेगा या विहित की जाय।

(3) तेन्दू के पत्ते बेचने का वादा करने वाले कोई व्यक्ति उक्त इकाई के भीतर स्थित किसी भी डिपो पर, पूर्वोक्त सरकारी अधिकारी या अभिकर्ता को उनकी बिक्री कर सकता है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी या अभिकर्ता, एक बार बेचे गये तेन्दू के पत्तों को पुनः खरीदने के निये पाबन्द नहीं होगा।

6. **सलाहकार समितियों का गठन** :– (1) जुलाई के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले और उसके बाद आने वाली जून की 30 तारीख को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये राज्य सरकार, राज्य के एक अथवा अधिक वन–खण्डों के लिये एक सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसमें अधिकतम वे पांच सदस्य होगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर अधिसूचित किये जावें, जो तेन्दू के पत्तों को ऐसी उचित एवं युक्तियुक्त कीमत नियम करने के मामले में राज्य सरकार को, समय समय पर, सलाह देगी, जिस कीमत पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे खण्ड या खण्डों में बिक्री के लिये, प्रस्तावित तेन्दू के पत्तों की खरीद, राज्य सरकार या इसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा की जा सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से एक सदस्य तेन्दू पत्तों के व्यापारियों या बीडी बनाने वालों में से और एक सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्यों में से होगा।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे अन्य मामलों पर भी सलाह दे जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाय।

(3) समिति का कार्य संचालन ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित की जाय।

(4) समिति के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किये जाए।

(5) समिति राज्य सरकार की अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जो राज्य सरकार द्वारा निमित प्रत्येक समिति के लिये विनिर्दिष्ट करें।

7. **राज्य सरकार द्वारा समिति के परामर्श से कीमत नियत करना :–** राज्य सरकार, धारा 6 के अधीन गठित समिति से परामर्श करने के पश्चात, ऐसी कीमत नियम करेगी जिस पर उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकतर्ता द्वारा तेन्दू के पत्ते उपजाने वालो से तेन्दू के पत्ते उस वर्ष के दौरान खरीदे जाये जिसके लिए समिति का गठन धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन किया गया है और उसका प्रकाशन राज–पत्र में एवं अन्य ऐसी रीति से करेगी जो चिहिन्त की जाय और इस प्रकार नियम कीमत से उस वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे कीमत संबंधित है:

परन्तु यह कि यदि समिति धारा 6 की उप–धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या अधिकतम पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जिसकी अनुज्ञा सरकार दे , सलाह देने में असफल रहे तो, राज्य सरकार समिति के परामर्श के बिना कीमत नियत करने की कार्यवाही कर सकेगी ;

परन्तु यह और कि विभिन्न इकाईयों के लिए विभिन्न कीमते नियम की जा सकेंगी, और ऐसा करने में अन्य बातों के साथ साथ निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जायेगाः–

(क) इकाई में समाविष्ट क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन तेन्दू के पत्तों की प्राप्त या नियम कीमतों पर;
(ख) इकाई में उपजे तेन्दू के पत्तों के गुण पर;
(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं पर;
(घ) परिवहन की लागत पर; और
(ड़) इकाई में अकुशल श्रमिकों के लिये प्रचलित मजदूरी के सामान्य स्तर पर।

8. **<u>डिपों खोलना एवं डिपों पर मूल्य सूचियों आदि का प्रकाशन करना :–</u>** प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में एवं ऐसे स्थानों पर डिपों खोले जायेगे जो कि राज्य सरकार तेन्दू के पत्ते उपजाने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियत करें और धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत तेन्दू के पत्तों की एक मूल्य सूची एवं कारवार का समय ऐसे प्रत्येक डिपो पर इस प्रयोजनार्थ रखे गये नोटिस बोर्ड पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

9. **<u>राज्य सरकार या अभिकर्ता द्वारा तेन्दू पत्तों की खरीद :–</u>** (1) राज्य सरकार या उसका प्रधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता कारवार के समय के दौरान डिपों पर बिक्री के लिये उसे प्रस्तावित तेन्दू के पत्ते ऐसी कीमत पर खरीदने के लिये आबद्ध होगा जो धारा 7 के अधीन नियत की गई हो;

परन्तु यह कि राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता तेन्दू के ऐसे पत्तों की खरीदने से इन्कार कर सकेगा जो कि उसकी राय में बीडी बनाने के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो। उस प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, दिनांकित तथा मुद्रांकित ऐसी इन्कारी की लिखित में संसूचित किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा तेन्दू पत्ते उपजाने वाले से पत्ते खरीदने में इन्कार करने पर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उस इन्कारी से पन्द्रह दिन के भीतर वह मामला मण्डल वन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित सशक्त किया जाये, व जिसकी उस इकाई पर अधिकारिता हो जिसमें पत्ते उपजे हो।

(3) उप–धारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, मण्डल वन अधिकारी या ऐसा अधिकारी, यथास्थिति, घटनास्थल पर या मुख्यालय पर विहित रीति से जांच करेगा और संबंधित पक्षें या उसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सुनवाई करने के पश्चात ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और यदि वह पत्तों की खरीद करने से की गयी इन्कारी को अनुचित पाये तो वह–

(क) यदि वह उक्त पत्तों की बीडी बनाने के लिये अब भी उपयुक्त समझता है तो वह प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को, यथास्थिति, उन सब पत्तों को खरीदने के निर्देश दे सकेगा और व्यथित व्यक्ति को ऐसा अन्य प्रतिकर भी अधिनिर्णित कर सकेगा जो उसको संदेय पत्तो की कीमत के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे,

(ख) यदि उसका विचार हो कि उक्त पत्ते बीडी बनाने के लिए अब अनुपयुक्त हो गये हो तो, वह व्यथित व्यक्ति को ऐसी किसी भी राशि जो उप–धारा (1) के अधीन उसे संदेय पत्तो ंकी कीमत से कम न हो, एवं ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के कारण ऐसी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का संदाय करने के निर्देश दे सकेगा, जो ऐसी कीमत के बीस प्रतिशत से अधिक न हो जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा की किसी भी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे कि बिक्री के लिये प्रस्तावित पत्तों का विनियोग विवर्जित हो, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को वह विश्वास करने का कारण हो कि यह पत्ते उन वनों या भूमियों के है जो राज्य सरकार की है जो केवल ऐसे संग्रह प्रभार यदि कोई हो, का हो संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार, समय समय पर पर, अवधारित करें:

परन्तु यह कि किसी विवाद के मामले में मण्डल वन अधिकारी उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट या ऐसा अन्य अधिकारी जिले विशेषतः इस निमित्त सशक्त किया गया हो, उसकी सुनवाई करेगा, और उसका निपटारा उनमें उपबंधित रीति से करेगा।

10. **<u>रजिस्ट्रीकरण</u>** :– राज्य सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक तेन्दू प्त्ते उपजाने वाला यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों को ऐसी मात्रा से अधिक होने की सम्भावना हो, जो विहित की जाय, तो वह विहित रीति से स्वयं का रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

11. **<u>बीडी बनाने वालों एवं तेन्दू पत्तो का निर्यात करने वालों का रजिस्ट्रीकरण :–</u>**

(1) प्रत्येक बीडी बनाने वाले एवं तेन्दू पत्तों का निर्यात करने वाला व्यक्ति, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस का संदाय करके एवं ऐसी रीति से स्वयं का रजिस्ट्रीकरण करायेगा, जो विहित की जाय।

(2) उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत का प्रत्येक बीडी बनाने वाला एवं तेन्दू पत्तों का निर्यात करने वाला व्यक्ति ऐसी घोषणा, लेखे जोखे एवं विवरणिया ऐसे प्ररूप में एवं ऐसे अन्तराल पर ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो विहित किये जाय।

12. **<u>तेन्दू पत्तों का व्ययन</u>** :– इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या उसका अधिकार या अभिकर्ता द्वारा खरीदे गये तेन्दू पत्तों की बिक्री या व्ययन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे।

13. **<u>तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री</u>** :– (1) कोई भी व्यक्ति तेन्दू पत्तों का खुदरा बिक्री नहीं करेगा सिवाय उसके कि जिसे इस धारा के अधीन लाईसेंस मंजूर किया गया हो।

(2) राज्य सरकार, राज्य के भीतर तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री की सुविधा के लिए, उतने ही व्यक्तियों को लाईसेंस मंजूर कर सकेगी जिसने वह उचित समझें।

(3) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री की वांछा करता हो ऐसे प्ररूप में ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति से आवेदन करेगा, जो विहित की जाय।

14. **<u>शक्तियां का प्रत्यायोजन</u>** :– राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जो सहायक वन संरक्षक रेंक से नीचे न हो, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों या कृत्यो का प्रत्यायोजन कर सकेगी जो कि उसका प्रयोग पालन ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अध्यधीन करेगा जो राज्य सरकार उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें।

15. **<u>प्रवेश, तलाशी, अभ्रिहण आदि की शक्ति</u>** :– (1) कोई भी वन अधिकारी जो फोरेस्टर के रेंक से नीचे का न हो या कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक सब इन्सपेक्टर के रेंक से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों की अपुपालना कराने के या स्वयं का समाधान करने के दृष्टि कोण से कि बात उपबन्धों की अनुपालना करली गई है;

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति, नाव अथवा गाडी को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका उपयोग तेन्दू पत्तों के परिवहन के लिए किया जाना अभिप्रेत है।

(ii) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा ओर उसकी तलाशी ले सकेगा।

(iii) तेन्दू के ऐसे पत्तों के साथ ही उस पात्र का जिसमें ऐसे पत्ते रखे गये हो या ऐसे पत्तों को ले जो वाली गाडी अथवा नावों का अभिग्रहण कर सकेगा जिसके संबंध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम के किन्ही भी उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये किन्ही भी नियमों का उल्लघंन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के तलाशी एवं अभिग्रहण से संबंधित उपबन्ध यथा संभव इस धारा के अधीन ली गयी तलाशी या किये गये अभिग्रहण पर लागू होंगे।

16. **<u>शास्तिः–</u>** यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्ही भी उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो –

(क) यह कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा जो 500/– रू तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, और

(ख) तेन्दू के वे पत्ते या उनका कोई भाग जिनके संबंध में ऐसा उल्लघंन किया गया है, जैसा न्यायालय उचित समझे, सरकार को समपहत हो जायेगाः

परन्तु यदि न्यायालय की यह राय हो कि सम्पूर्ण पत्तों या उसके किसी भाग यथास्थिति के संबंध में समपहरण आवश्यक नहीं है तो वह, लेखबद्ध कारणों से ऐसा करने से विरत रह सकेगा।

17. **<u>प्रयास एवं दुष्प्रेरण</u>** :– कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लघंन करने का प्रयास करता है या उल्लघंन करने का दुष्प्रेरण करता है वह ऐसे उपबन्धों का उल्लघंन करने वाला समझा जायेगा।

18. **अपराधों का संज्ञान** :– कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी उपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की लिखित में रिपोर्ट के जो कि ऐसे वन अधिकारी द्वारा दी गयी हो जो मण्डल वन अधिकारी के रेंक के नीचे का न हो या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा दी गयी हो जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

19. **अपराधों का शमन** :– (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी की किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो कि जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करने को सशक्त कर सकेगी जिसके किये जाने का संदेह ऐसे व्यक्ति पर है।

(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का संदाय कर देने पर संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जायेगा, तेन्दू के पत्तों के अतिरिक्त उसकी अभिगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो छोड दी जायगी, और ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे वन अधिकारी को सशक्त नहीं किया जायेगा, जो मण्डल वन अधिकारी के रेंक से नीचे का हो और उप–धारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत वन राशि किसी भी मामले में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

20. **सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के संबंध में व्यावृत्तियां** :– (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना में की गई या सद्भावना में किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण के सद्भाव में की गई या सद्भाव में किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी बात के द्वारा हुए या संभवतः होने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभवतः उठाई जाने वाली क्षति के लिये सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. **नियम बनाने की शक्ति** :– (1) राज्य सरकार पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुये इस अधिनियम के समस्त या किन्ही उपबन्धों का क्रियान्वयन करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः एवं पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्ही भी मामलों के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए निबन्धन, शर्ते एवं प्रक्रिया;

(ख) उन अनुज्ञा–पत्र के निबन्धन एवं शर्तें जिसके अध्यधीन तेन्दू पत्तों का परिवहन किया जा सकेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा एवं वह रीति जिसमें ऐसा अनुज्ञा–पत्र धारा 5 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया जायगा;

(ग) (i) धारा 6 की उप–धारा (3) के अधीन समिति के कार्य संचालन की रीति;

(ii) धारा 6 की उप–धारा (4) के अधीन दिये जाने वाले वे भत्ते जिनके लिये समिति के सदस्य हकदार होगें;

(घ) धारा 7 के अधीन तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची का प्रकाशन;

(ड़) धारा 9 की उप–धारा (3) के अधीन जांच करने की रीति;

(च) (i) धारा 10 के अधीन तेन्दू पत्तों की मात्रा विहित करना

(ii) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति;

(छ) (i) वह कालावधि जिसके भीतर वह फीस जिसका संदाय किये जाने पर और वह रीति जिससे धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा;

(ii) घोषणाएं, लेखे जोखे एवं विवरणियां जो धारा 11 की उप–धारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जायेगी और वह प्ररूप जिसमें वह अधिकारी जिसको व अन्तराल जिन पर वे प्रस्तुत किये जायेगें,

(ज) वह प्ररूप जिसमें, वह प्राधिकारी जिसको और वह रीति जिससे धारा 13 की उप–धारा (3) के अधीन आवेदन किया जायगा;

(झ) कोई भी अन्य मामला जिसका इस अधिनियम के अधीन या तो स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र विधान मण्डल के समक्ष उस समय रखा जायेगा जब उसका सत्र कुल चौदह दिन की कालावधि के लिये, चाहे यह कालावधि एक ही सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरोत्तर सत्रों में, और जिस सत्र में यह इस प्रकार रखा जाय उसकी समाप्ति से पूर्व या उसके तत्काल पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति से पूर्व, यदि उन नियमों में कोई उपान्तरण करने को सदन सहमत हो जाता है या सदन इससे सहमत हो जाता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए ओर अपने ऐसे विनिश्चय को राज–पत्र में अधिसूचित करता है तो वह नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केवल ऐसे उपान्तरित प्ररूप मे, यथास्थिति प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, जिससे कि ऐसा उपान्तरण या वातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. **<u>इस अधिनियम के अधीन आने वाले प्रयोजनों के लिये तेन्दू पत्तों पर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एवं अन्य विधियां लागू नहीं होगी</u>**:–(1) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों के संबंध में तेन्दू पत्तों पर लागू नहीं होगी जिनके लिये इस अधिनियम में उपबंध अन्तर्विष्ट है।

(2) किसी भी अन्य विधि, नियम, आदेश या किसी भी ऐसी अन्य बात मे, जिसका राज्य के किसी भी भाग में विधिक प्रवर्तन हो, अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों के बारे में तेन्दू पत्तों पर लागू नहीं होगी जिसके लिये इस अधिनियम में उपबंध अन्तर्विष्ट है।

23. **<u>कठिनाईयो का निराकरण</u>** :– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होने वाली कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो इन उपबंधों से असंगत न हो।

24 **<u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u>** :– (1) राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1973) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम दिसम्बर, 1973 के चौथे दिन प्रवृत्त हुआ था।

सम्पतराज सिंधी
शासन सचिव।